दिन– शुक्रवार   दिनांक– 02 / 08 / 2025

प्रसार भारती
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
प्रादेशिक समाचार एकांश
आकाशवाणी, पटना

प्रसारणः– अपराह्न 02:00 बजे से।   अवधि – 05 मिनट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी आज वाराणसी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बीसवीं किस्त की राशि जारी करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लागू की है। इस पर चौबीस हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। श्री मोदी ने कहा कि यह योजना उन जिलों में लागू की गयी है, जो पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण पिछड़ गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमे स्वदेशी का संकल्प लेना चाहिए। श्री मोदी ने इस अवसर पर नौ करोड़ सत्तर लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में बीस हजार पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की। बिहार के लगभग चौहत्तर लाख किसानों के खाते में योजना की राशि भेजी गयी। इधर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करने के अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। श्री चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की अनदेखी कर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए किसानों के हितों की रक्षा सर्वोपरि है।

———————————————————

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण के तहत मतदाता सूची में सुधार के लिए आज से दावा–आपत्ति ली जा रही है। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि एक सितम्बर तक निर्धारित है। दावा आपत्ति के निष्पादन के लिए सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय तथा शहरी निकाय कार्यालयों में विशेष कैंप लगाए गए हैं। ये कैंप एक सितम्बर तक सप्ताह के सातों दिन पूर्वाह्न दस बजे से अपराह्न पांच बजे तक संचालित होंगे। आयोग ने कहा कि पात्र नागरिक जिनका नाम किसी कारण से प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल नहीं हो सका है, वे घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा आपत्ति कर सकते हैं। वहीं, दिव्यांग और बुर्जुग मतदाताओं से बीएलओ उनके घर जाकर आवेदन प्राप्त करेंगे। पच्चीस सितंबर तक दावा आपत्ति से

संबंधित विभिन्न आवेदनों की जांच होगी और इनका निष्पादन कर लिया जायेगा। इसके बाद तीस सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से लगभग बीस से तीस हजार मतदाताओं के नाम काट दिये गये हैं। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस संबंध में जो सूची उपलब्ध करवाई है, उसमें सिर्फ मतदाता के नाम हैं। सूची में न तो मतदाता का पता दिया गया है, न ही बूथ नम्बर और न ही वोटर पहचान पत्र का नम्बर ही दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची के प्रारूप से उनका और उनकी पत्नी का नाम भी काट दिया गया है।

निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान में लगे कर्मियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की है। अब बीएलओ को छह हजार रुपये की जगह बारह हजार रुपये वार्षिक मानदेय मिलेगा। वहीं, बीएलओ पर्यवेक्षक की वार्षिक मानदेय राशि बारह हजार रुपये से बढ़ाकर अठारह हजार रुपये कर दी गयी है। पहली बार निर्वाचक पंजीयक अधिकारी, ईआरओ और सहायक निर्वाचक पंजीयक अधिकारी, एईआरओ के लिए मानदेय की घोषणा की गयी है। ईआरओ को तीस हजार रुपये और एईआरओ को पच्चीस हजार रुपये वार्षिक मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा बीएलओ को मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि एक हजार रुपये से बढ़ाकर दो हजार रुपये करने की घोषणा की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार में जारी एसआईआर में शामिल बीएलओ को अतिरिक्त छह हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

इसके साथ ही आकाशवाणी, पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।